भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1572

(01 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के तहत आवासों का निर्माण

1572. श्री रामेश्वर तेली:
श्री बाबू राम निषाद:
श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा:
श्री रायगा कृष्णैया:
श्री मयंककुमार नायक:
डा. दिनेश शर्मा:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्रीमती संगीता यादव:
श्रीमती किरण चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपना आवास होने के महत्वाकांक्षी स्वप्न को पूर्ण करने में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की क्या भूमिका है;
(ख) मंत्रालय द्वारा संचयी रूप से लक्षित आवासीय इकाइयों की कुल संख्या (चरण I + चरण II) कितनी है;
(ग) अब तक स्वीकृत तथा पूर्ण हुए आवासों की कुल संख्या कितनी है;
(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत पूर्ण हुए आवासों की जियो टैगिंग का कोई प्रावधान है ; और
(ङ) यदि हाँ, तो अब तक जियो टैग किए गए कुल स्थलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का

कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है।

पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक इस योजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी है। पीएमएवाई -जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 डेटाबेस और अंतिम आवास + सर्वेक्षण सूची के तहत आवास अभाव मानदंडों के आधार पर की जाती है।

भारत सरकार ने अप्रैल, 2024 से मार्च, 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ पक्के मकानों की समग्र सीमा के भीतर सहायता प्रदान करके आवास + (2018) सूची (अद्यतन के बाद) को पूरा करने और एसईसीसी 2011 स्थाई प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शेष पात्र परिवारों को रखने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, 29.07.2025 तक, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.12 करोड़ मकानों का संचयी लक्ष्य (चरण I + चरण II) आवंटित किया है, जिसकी तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 3.84 करोड़ लाभार्थियों को मंजूरी दी है और 2.81 करोड़ मकानों का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका हैं।

(घ) और (ङ): लाभार्थियों को किश्तें जारी करना, निर्माण के पूर्व-निर्धारित चरण के पूरा होने और उस चरण की जियो-टैग की गई, समय एवं दिनांक वाली तस्वीर को "आवासऐप" के माध्यम से "आवाससॉफ्ट" पर अपलोड करने पर निर्भर करता है। पीएमएवाई -जी के तहत, मकानों के निर्माण के प्रत्येक चरण में समय और दिनांक के साथ जियो -टैग की गई तस्वीरें अपलोड करना अनिवार्य है, जिसमें मकानों की मंजूरी से पहले 'मौजूदा स्थल' और 'प्रस्तावित स्थल' की जियो-टैगिंग भी शामिल है। मंत्रालय का "आवासऐप" मोबाइल एप्लिकेशन इसकी सुविधा प्रदान करता है। 29 जुलाई, 2025 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना के तहत लाभार्थियों को मकान स्वीकृत करने से पहले 3.84 करोड़ मकानों की साइटों की जियो-टैगिग की जा चुकी है।
